राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 259/2022

अमीलाल पुत्र गणपत सिंह जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदक

ब–ना–म

1. मूंगिया पुत्र पीराना जाति राणा निवासी मोड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: **दिनांक 09–09–2022**

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. का आवेदक खातेदार काश्तकार है। आवेदक अपनी भूमि पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। आवेदक की भूमि खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. के पश्चिम में वाके ग्राम मोड़ी में स्थित भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 0.31 है. व खसरा नंबर 3 रकबा 0.12 है. राजकीय भूमि स्थित है। खसरा नंबर 1 में आम सड़क मेहाड़ा से गौरीर स्थित है जिसमें आवागमन प्रचलित है। खसरा नंबर 3 रकबा 0.12 है. भूमि ख.नं. 4 रकबा 0.31 है. भूमि मेहाड़ा मुख्य सड़क से ग्राम गौरीर जाने वाली सड़क से खसरा नंबर 3 में प्रवेश किया जाता है व खसरा नंबर 4 की पश्चिमी सीमा से होते हुए खसरा नंबर 2190 में प्रवेश किया जाता है। इस प्रकार आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 2190 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 3 व 4 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 10 मीटर चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है। इसके अलावा आवेदक के अपने खेत खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. में आने जाने के लिए कोई और वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदक सदैव से ही इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी स्थित आवेदक की भूमि खसरा नंबर 2190 में आने जाने के लिए राजस्व [illegible] कोई रास्ता नहीं है। केवल ग्राम मेहाड़ा से गौरीर जाने वाली सड़क [illegible] 4 में से ही आवेदक अपनी भूमि खसरा नंबर 2190 में प्रवेश कर सकता है। [illegible] आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 2190 में आने जाने के लिए 10 मीटर चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता [illegible] खसरा नंबर 3 व खसरा नंबर 4 में से नजरी नक्शे के अ[illegible]र आवेदक को दिलवा[illegible] योग्य है क्योंकि आवेदक के लिए अपने खेत में आने जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है तथा मुख्य सड़क ग्राम मेहाड़ा से गौरी जाने वाली सड़क से खसरा नंबर 3 व 4 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पश्चिमी सीमा से खसरा नंबर 2190 तक 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता भौतिक रूप से अधिक सुविधाजनक है तथ कम से कम वहां से रास्ते के काम आती है एवं वहां से रास्ता तुलनात्मक रूप से नुकसानदायक भी नहीं है। आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. में आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से भारी परेशानी है। वाके ग्राम मोड़ी के खसरा नंबर 3 व 4 में से ही आवेदक को रास्ता दिलाये जाने योग्य है। आवेदक धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. में आने जाने के लिए मुख्य सड़क ग्राम मेहाड़ा से गौरीर जाने वाली सड़क से वाके ग्राम मोड़ी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 0.12 है. व खसरा नंबर 4 रकबा 0.31 है. की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा तक 10 मीटर चौड़ाई में रास्ता अर्थात् मुख्य सड़क मेहाड़ा से गौरीर जाने वाली सड़क से आवेदक की भूमि खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. में आने जाने के लिए नजरी नक्शा में दर्ज अनुसार 10 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने की कृपा करें तथा दौराने आवेदन पत्र यदि अनावेदक सं. 1 नजरी नक्शे में दर्ज इस प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा कर देते हैं तो उसे भी साफा करवाया जावे एवं रास्ता मौके पर कायम किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की तलबी जरिये राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के माध्यम जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की तलबी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28.07.2022 को प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका संस्करण दिनांक 28.07.2022 की प्रति शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/492 दिनांक 12.07.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. आवेदक को प्रस्तावित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा केवल जोत एवं सुविधाजन उपयोग के लिए नहीं है।
2. खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।
4. प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल खसरा नंबर 3 में 20X10 = 200 वर्गमीटर व खसरा नंबर 4 में 100X10 =1000 वर्गमीटर है।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जादूवास की मौका रिपोर्ट मूल ही संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता सं. 1, खाता सं. 48 व खाता सं. 100 ग्राम मोडी, नकल आशिक नक्शा ट्रेस ग्राम गौरीर, जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 598 ग्राम गौरीर पेश किये।

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जादूवास का ध्यानपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक मेहाड़ा जाटूवास में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 2190 ग्राम गौरीर में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 3 व 4 ग्राम मोड़ी में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 2190 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 12.07.2022 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 2190 रकबा 0.74 है. में जाने के लिए मुख्य सड़क ग्राम मेहाड़ा से गौरीर से ग्राम मोड़ी स्थिति भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 0.12 है. व खसरा नंबर 4 रकबा 0.31 है. में से 1200 वर्गमीटर पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 2190 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में राजकीय भूमि ख.नं. 3 रकबा 0.12 है. में से 20x10= 200 वर्गमीटर व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 4 रकबा 0.31 है. मे सें 100x10=1000 वर्गमीटर कुल 1200 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 1200 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी भूमि खसरा नंबर 3 के प्रतिकार की राशि राजकोष में जमा करेंगे तथा भूमि खसरा नंबर 4 के प्रतिकार की राशि अप्रार्थी सं. 1 को नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 3 व 4 के रकबे में से रास्ते की बाबत 1200 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 09–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:09 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी